निर्णय ब इजलास राजकुमार कस्वा आर.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय), जयपुर

प्रकरण संख्या 1/2024 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

गौरी शंकर मालू पुत्र श्री रामप्रसाद मालू, नरायना, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 22.07.2023**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि गौरी शंकर मालू द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 24.05.2024 को राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर निम्नलिखित सूचना चाही गयी–

(अ) कार्यालय जिला कलक्टर शहर उत्तर, जयपुर के पत्र क्रमांकः– भू. अर्जन/2018/2415 दिनांक 11.10.2018 की फोटो प्रति संलग्न है। उक्त पत्र में निम्न अंकन है :–

"उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट सांभरलेक से रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार वर्तमान अलाईमेन्ट में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। प्रकरण में उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट सांभरलेक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपी संलग्न कर सूचनार्थ भिजवाई जा रही है"

उक्त प्रकरण में उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट सांभरलेक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपी व उसके संलग्न दस्तावेजों की सूचनार्थ दिलावें। सम्बन्धित पत्रावली की नोटशीटों की सूचना भी दिलावें।

(ब) कार्यालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट सांभरलेक के पत्र क्रमांकः विविध/18/643 दिनांक 07/09/2018 व उसके संलग्न दस्तावेजों की सूचना दिलावें।

(स) कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वनिक निर्माण विभाग रा.रा. मार्ग खण्ड प्रथम जयपुर के पत्र क्रमांक 2150 दिनांक 20.08.2018 व उसके संलग्न दस्तावेजो की सूचना दिलावे।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय), जयपुर

(द) कार्यालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट सांभरलेक के पत्र क्रमांक विविध / 18 / 381 / दिनांक 15.05.2018 व इसके संलग्न दस्तावेजो की सूचना दिलावे।

(य) कार्यालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सांभरलेक जयपुर के पत्र क्रमांक विविध / 18 / 771 दिनांक 26.12.2018 व उसके संलग्न दस्तावेजों की सूचना दिलावें तथा सत्यापित भूमि प्लान जो उक्त पत्र के संबंध में सत्यापन कर पीडब्ल्यूडी को भेजे गये उनकी सूचना दिलावे।

प्रार्थी ने नियत समयावधि में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी अनुपस्थित है।

3. हमने प्रार्थी के सूचना के अधिकार के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा जिसमें चाही गई बिन्दूवार सूचना दस्तावेजी सूचना चाहने हेतु अंकित किया गया है तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक से प्राप्त पत्रांक सू.अ. / 24 / 721 दिनांक 15.07.2024 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है, के अनुसार वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक सू.अ. / 24 / 1152 दिनांक 18.06.2024 द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी। उक्त सूचना से स्पष्ट है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने के बाद अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अपील का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उक्त प्रकरण में यदि कोई सूचना दिये जाने से शेष है अथवा अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही हो तो तत्काल उपलब्ध करावें तथा भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों में निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराई जावे।

4. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

5. निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अपीलीय अधिकारी एवं
अति. जिला कलेक्टर (तृतीय),
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर